Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम मण्डावर जिला दौसा

नानगी वगैरह बनाम बतकाल वगैरह

किस्म मुकदमा – राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 53, 188 मुकदमा संख्या 56/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.07.2024	नानगी सैन पत्नी बाबूलाल जाति सैन निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा वगैरह ....वादीगण बनाम 1.बतकाल सैन पुत्र मूल्या जाति सैन निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा वगैरह ....प्रतिवादीगण दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 उपस्थित 1. श्री गिरिराज प्रसाद एडवोकेट– वादी 2. वादीगण स्वयं **निर्णय** दिनांक 13.07.2024 आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। वादीगण जरिये वकील की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् विड्रो किया जाने वाद पत्र पेश किया। वादी ने अवगत कराया कि उनवानी प्रकरण में राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से आपस में राजीनामा हो चुका है इसलिये आगे कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं चाहते हूं। मेरा वाद स्थगन कर यही पर समाप्त करने की कृपा करे। इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उनवानी प्रकरण को विड्रो किये जाने की इजाजत फरमाई जाकर वादपत्र को विड्रो के आधार पर खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है। हमने वादीगण व उनके वकील को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दावा अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। दावा के प्रत्याहरण की अनुमति देने में कोई विधिक अडचन नहीं होने से प्रार्थना पत्र बाबत् किये जाने विड्रो दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण में राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में राजीनामा हो चुका है इसलिये वादीगण आगे कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं चाहते है इसलिये दावा को इसी स्तर पर विड्रो के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में सुनाया गया। सदस्य राजस्व अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच महवा न्यायिक अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच महवा	

Scanned with CamScanner